

लोकसभा अध्यक्ष:

- नवनिर्वाचित सांसदों में से किसी भी सांसद का निर्वाचन संभव।
- सामान्य बहुमत से निर्वाचन।
- किसी विशेष या अहर्ता का प्रावधान नहीं।
- शपथ का कोई प्रावधान नहीं।
- कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अनुसार।
- अनुच्छेद 94 के तहत पद रिक्तता संभव- सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में, उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देकर, सांसदों के द्वारा हटाए जाने पर
- न्यूनतम 50 सांसद लिखित संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना देकर ला सकते हैं और सभी सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा उस संकल्प को पारित कर हटाया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- देश के वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष 6 ठा होता है लेकिन उप-प्रधानमंत्री होने की स्थिति में वह 7 वां हो जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां:

- लोकसभा का प्रमुख माना जाता है सांसदों के विशेषाधिकार और संसदीय गरिमा का प्रहरी माना जाता है।
- संविधान, प्रक्रिया नियम एवं संसदीय प्रावधानों की अंतिम व्याख्या का अधिकार।
- सदन की बैठक को निलंबित करने या स्थगित करने का निर्णय।
- प्रधानमंत्री के निवेदन पर सदन की गोपनीय बैठक बुलाने का अधिकार।
- धन विधेयक संबंधी निर्णय लेने का अधिकार।
- गणपूर्ति एवं व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय लेना।
- किसी विषय पर बराबर मत विभाजन की स्थिति में निर्णायक मत देना।
- दल बदल विरोधी कानून के अनुसार निर्णय लेना (न्यायिक समीक्षा संभव)।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
- सदन में विचार रखने की अनुमति प्रदान करना।
- संसदीय समितियों के अध्यक्ष नियुक्त करना।
- भारतीय संसदीय दल का पदेन अध्यक्ष।
- विश्व की संसद और भारतीय संसद के बीच संबंध कायम करना।
- राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष या अध्यक्षाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करना।
- नोट- बिजनेस एडवाइजरी समिति (कार्यवाही परामर्शदायी समिति), नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति (जनरल परपज कमेटी) का वह स्वयं अध्यक्ष होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्र बुलाने से पहले अध्यक्ष से उसकी तिथि और सत्रावधि से संबंधी विचार-विमर्श आवश्यक माना जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता एवं तटस्थता संबंधी मुद्दे:

- तटस्थता किसी भी गुट या विचारधारा से दूर रहने की परिस्थिति है जबकि निष्पक्षता समान परिस्थिति में समान व्यवहार को इंगित करती है।
- भारतीय संविधान में अध्यक्ष की तटस्थता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए दिए गए प्रमुख प्रावधान-
 - निर्धारित कार्यकाल (अपवाद छोड़कर)
 - वेतन और भत्ते संचित निधि कोष पर भारित
 - मत विभाजन के दौरान बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना
 - व्यवहार पर चर्चा या आलोचना हटाने की प्रक्रिया के दौरान ही संभव
- हाल के वर्षों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में और विगत 25 वर्षों में लोकसभा अध्यक्षों की भूमिका पर विवाद और बहस (मानक व्यवहार में गिरावट के कारण)।
- नबम रबिया केस, किहोतो होलोहान केस, जगजीत बनाम हरियाणा राज्य केस और मणिपुर विधानसभा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्षों की भूमिका को उचित और मानक नहीं पाया।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में अपेक्षित सुधार:

- अनुच्छेद 102 के तहत अध्यक्ष के निर्णय के लिए समय सीमा तय की जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन हो।
- ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाते हुए अध्यक्ष बनते ही राजनीतिक दल से त्यागपत्र दिया जाए और सेवानिवृत्ति तक अध्यक्षता सुनिश्चित हो।
- स्वयं त्यागपत्र देने की स्थिति या मृत्यु की स्थिति को छोड़कर।
- नोट- लोकसभा के नियम 373 के तहत अध्यक्ष के द्वारा किसी भी सांसद को अव्यवस्था उत्पन्न करने के आधार पर चेतावनी दी जा सकती है और उस दिन की कार्यवाही से बाहर किया जा सकता है।
- आज्ञा न मानने वाले सांसदों के लिए नियम 374 और 374A का इस्तेमाल हो सकता है।
- 374 के तहत अध्यक्ष सांसद का नाम ले सकते हैं और उन्हें सदन के सत्र के बचे हुए समय के लिए बाहर निकाला जा सकता है।
- नियम 374A के तहत अध्यक्ष के द्वारा किसी सांसद का नाम लेकर उसे दंडित करने की चेतावनी दी जा सकती है और नाम लेने के बाद 5 लगातार दिनों तक या सत्र के बचे हुए समय तक निलंबित किया जा सकता है।
- अध्यक्ष को यह प्राधिकार प्राप्त है कि यह कार्यवाही को बाधित करने वाले सांसद को दंडित करने से संबंधित अपना स्वतंत्र निर्णय ले।
- सांसदों द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष के निर्णय को बदला जा सकता है।

लोकसभा उपाध्यक्ष:

- निर्वाचन और हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष की तरह ही।
- कार्यात्मक शक्ति अध्यक्ष की तरह।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति या पदरिक्तता की स्थिति में पीठासीन अधिकारी की भूमिका का निर्वहन।
- अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं और प्रत्यक्षतः सदन के प्रति जवाबदेह।
- किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष होने की स्थिति में स्वतः उसका अध्यक्ष।

पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स:

- लोकसभा नियमावली 9 के तहत मनोनयन द्वारा अधिकतम 10 सदस्यों की सूची अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाती है।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पैनल के सदस्य पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं।
- यदि पद रिक्त होता है तो यह सूची कार्य नहीं करती और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी सांसद को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि घोषित करेंगे।

प्रोटेम स्पीकर:

- विगत लोकसभा के अध्यक्ष नव निर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक के तत्काल पहले पद रिक्त करते हैं और तब राष्ट्रपति के द्वारा सामान्य तौर पर सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हे शपथ भी दिलाई जाती है (सांसद के रूप में)।
- अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
- दो प्रमुख कार्य हैं-
 1. नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाना
 2. राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को अध्यक्ष पद के चुनाव के समय पीठासीन अधिकारी की भूमिका का निर्वहन

राज्यसभा के पदाधिकारी:

- उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के पदेन सभापति की भूमिका (अनुच्छेद 89)।
- पदेन सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते।
- सभापति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का पालन।
- राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान सभापति के रूप में कार्य नहीं।
- अपवाद छोड़कर सभी शक्तियां अध्यक्ष की तरह।
- धन विधेयक और संयुक्त बैठक संबंधी शक्ति नहीं।
- नोट- सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद सदन की कार्यवाही में भाग लेने और अपना मत व्यक्त करने का अधिकार। परंतु हटाने की प्रक्रिया में सदस्य के रूप में मत देने का अधिकार नहीं।
- लोकसभा अध्यक्ष को सांसद के रूप में मतदान का अधिकार है।
- जब राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहे हों तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि वह राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों के तहत होगा।

उपसभापति:

- सदन का सदस्य और सदन द्वारा निर्वाचित।
- हटाए जाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष की तरह।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता।
- यदि तीनों ही अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्यों में से किसी एक के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
- लोकसभा उपाध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा का उपसभापति सभापति का अधीनस्थ नहीं होता और प्रत्यक्षतः सदन के प्रति जवाबदेह होता है।

उपसभापतियों की तालिका:

- पदेन सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सक्रिय।
- पदेन सभापति सामान्य तौर पर 6 सांसदों की सूची मनोनयन द्वारा।
- सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर सूची अप्रभावी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा सदन के किसी सांसद को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- उपसभापति के निर्वाचन की तिथि की घोषणा की जाती है (उपराष्ट्रपति/सभापति का निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा)

लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव:

- इनकी नियुक्ति सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा होती है।
- प्रत्येक सदन का अपना सचिवालय और उसके कर्मी होते हैं तथा महासचिव उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- संसदीय गतिविधियों के अनुभवी, संविधान के जानकार या वरिष्ठ लोकसेवक को महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।
- संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की पृथक पहचान बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
- लोकसभा महासचिव की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष जबकि राज्यसभा में 62 वर्ष है।
- ये क्रमशः अध्यक्ष और सभापति के प्रमुख सलाहकार होते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाए जाने पर सांसदों को संबंधित सूचना प्रदान करने का कार्य।
- सरकार की कार्यवाही एवं संबंधित जिम्मेदारियों की देख-रेख, व्यवस्था स्थापित करना, कार्यवाही प्रक्रिया का ब्यौरा रखना और लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करने का कार्य लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में महासचिव का होता है।

सदन का नेता:

- लोकसभा में सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री और यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो उनके द्वारा लोकसभा के किसी सांसद को सदन का नेता मनोनीत किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन जिस सदन के सदस्य होंगे उसी सदन में मतदान करेंगे।

विपक्ष का नेता:

- सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 स्थान प्राप्त करने पर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष द्वारा यह दर्जा प्रदान किया जाता है।
- 1969 में रामसुभग सिंह को पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में पहचान और मान्यता मिली। लेकिन वैधानिक रूप से यह मान्यता पहली बार 1977 में यशवंत राव चव्हाण को दी गई।
- विपक्ष के नेता को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
- 2014 के बाद से लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है।

व्हिप अधिकारी:

- संबंधित प्रावधान संविधान में नहीं परंतु, सदन की नियमावली में इसका उल्लेख करने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन मौजूदा समय में संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के तहत ही इस पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है। (अंतःकरण की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण व्हिप अधिकारी का विरोध होता है)
- सदन में दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए संसदीय दल द्वारा अपने किसी सांसद की नियुक्ति व्हिप अधिकारी के रूप में होती है।
- इसके द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं होने पर सांसद के विरुद्ध दल-बदल कानून लागू हो सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- **गणपूर्ति-** प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 की उपस्थिति आवश्यक।
- ऐसा नहीं होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन की कार्यवाही को रोका जाएगा।
- **सदन में भाषा का प्रयोग-** अंग्रेजी, हिन्दी या मातृभाषा (पीठासीन अधिकारी की अनुमति पर)
- अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का सत्र अधिकतम 6 महीने के अंतराल पर बुलाना आवश्यक।
- सामान्य तौर पर 3 सत्र-
 1. बजट स्तर,
 2. मानसून सत्र,
 3. शीतकालीन सत्र।
- बजट सत्र सबसे लंबी अवधि का और शीतकालीन सत्र सबसे छोटी अवधि का होता है।
- सदन को स्थगित करने और अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास लेकिन सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास (सामान्य तौर पर राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा अध्यक्ष द्वारा सदन को अनिश्चितकालीन स्थगित करने की घोषणा के 2-3 दिनों के बाद किया जाता है)।
- **लेम डक सेशन-** मौजूदा संसद का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। वे सांसद जो नई लोकसभा में पुनः निर्वाचित होकर नहीं आते उन्हें लेम डक कहा जाता है।
- मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और यही शक्ति महान्यायवादी को भी प्राप्त है।
- परंतु एक अंतर के साथ- मंत्री अपने सदन में मतदान कर सकते हैं परंतु महान्यायवादी को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता।